रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-886/2018/1049/22-2-2018-17(141)/2016

लखनऊ: दिनांक: 27 नवम्बर, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बलकार सिंह (बन्दी संख्या-16393) पुत्र श्री सांवल सिंह, जो-निवासी-ग्राम-असरपुर, थाना-झिंझाना, जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जनपद-शामली का रहने वाला है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-72/1985 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की धारा-302/149,307/149,452,148 के अधीन दिनांक 18.04.1996 को मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.10.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड में परिवर्तित कर दिया गया, मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 10.12.2013 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड को बहाल रखा गया, की समयपूर्व रिहाई हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा रिहाई न करने की आख्या तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति एवं दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर बन्दी की आयु 91 वर्ष होने, 11 वर्ष से अधिक अपरिहार, 14 वर्ष से अधिक सपरिहार सजा काटने तथा अच्छे जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते है कि उक्त बंदी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, शामली के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-886/2018/1049(1)/22-2-2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, शामली ।
3- पुलिस अधीक्षक, शामली ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0 प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in